

राज्यपाल सचिवालय लोक भवन, जयपुर

क्रमांक: प.17(8)राभ/89/पार्ट-II/1085

दिनांक : 19 फरवरी, 2026

आदेश

इस सचिवालय के आदेश क्रमांक 580 दिनांक 28.01.2026 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2025 की स्थिति में राज्यपाल सचिवालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत कार्मिकों की अस्थाई वरिष्ठता सूची (Provisional Seniority List) पर निश्चित समयावधि में श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहायक अनुभाग अधिकारी से प्राप्त आपत्ति परीक्षण उपरान्त सारहीन पाये जाने के कारण खारिज की गई है।

एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 4271/2021 नटवर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2025 की पालना में राज्यपाल सचिवालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत कार्मिकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची (Final Seniority List) दिनांक 01 अप्रैल, 2025 की स्थिति अनुसार एतद्वारा प्रकाशन की जाती है :-

क्र. सं.	कार्मिक पहचान संख्या (Employee ID)	कार्मिक का नाम	वर्ग	जन्म तिथि	चयन वर्ष	योग्यता	विशेष विवरण
1.	RJJP201719002546	श्री आलोक शर्मा	सामान्य	07.07.1987	2022-23	स्नातकोत्तर	
2.	RJJP201719002540	श्री अनिल शर्मा	सामान्य	16.06.1979	2023-24	स्नातकोत्तर	
3.	RJJP201719002543	श्री मनोज कुमार शर्मा	सामान्य	16.07.1989	2023-24	स्नातकोत्तर	
4.	RJJP201719002544	श्री अंकित जैन	सामान्य	08.08.1988	2024-25	स्नातकोत्तर	
5.	RJJP201719002539	श्री बिशन सिंह	सामान्य	19.10.1990	2024-25	12 th	
6.	RJJP201319034694	श्री अशोक कुमार रैगर	अजा	01.03.1983	2024-25	स्नातकोत्तर	दिव्यांगजन
7.	RJJP201319034696	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अ.पि.व.	05.09.1988	2024-25	स्नातक	
8.	RJJP201319034685	श्रीमती नेहा शर्मा	सामान्य	01.10.1992	2024-25	स्नातक	

उक्त अन्तिम (Final) वरिष्ठता सूची माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में लम्बित एस. बी. सिविल रिट संख्या 1444/2025 श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के निर्णय के अधधीन रहेगी।

वरिष्ठता सूची कार्यालय की website <https://lokabhavan.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।


(मुकेश कुमार कलाल)
उप सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1.) प्रभारी अधिकारी (IT), लोक भवन, जयपुर- लोक भवन की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 2.) संबंधित कर्मचारीगण।
- 2.) निजी/रक्षित पत्रावली।


उप सचिव
राज्यपाल, राजस्थान